



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 27/09/2017

Certificate No. Q0272017I88

GRN No. 30697583



Stamp Duty Paid : ₹ 10800

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Tara chand

H.No/Floor: 0

Sector/Ward: 0

LandMark: 0

City/Village: Sarai kohand

District: Panipat

State: Haryana

Phone: 0

Others: Harpal and ranpal



Buyer / Second Party Detail

Name: Unnat feeds Private limited

H.No/Floor: 0

Sector/Ward: 0

LandMark: Hotel city heard near bus stand

City/Village: Panipat

District: Panipat

State: Haryana

Phone: 0

Others: Through authorized signatory

Purpose: STAMP FOR REGISTRATION OF LEASE DEED BETWEEN BOTH PARTIES

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

पट्टनामा भूमि बाका ग्राम सराये कोहण्ड तहसील व जिला पानीपत, सालाना लीज राशि मु0

90,000/-रुपये

शब्द

स्टाम्प

स्टाम्प सर्टिफिकेट नम्बर

जारीकर्ता

650

10,800/-

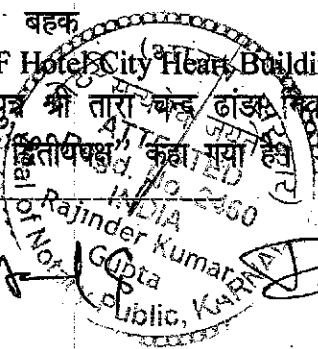
Q0272017I88

E-Stamp

हम तारा चन्द (Adhar Card No. 2605 5691 9760) पुत्र श्री मामचन्द पुत्र श्री जोधराम, 47/90 भाग, व हरपाल (Adhar Card No. 3473 8843 8975) पुत्र श्री ताराचन्द, 53/180 भाग, व रणपाल (Adhar Card No. 5819 3323 0687) पुत्र श्री तारा चन्द, 11/60 भाग, निवासीगण ग्राम सराये कोहण्ड तहसील व जिला पानीपत, मालिक भूमि, जिसको इस प्रलेख में "प्रथमपक्ष" कहा गया है।

वहक
Unnat Feeds Privte Limited, Office at: LGF Hotel City Heart Building, Near Bus Stand, G.T. Road, Panipat द्वारा डायरेक्टर रणपाल ढांडा पुत्र श्री तारा चन्द ढांडा निवासी मकान नम्बर 1050/15 सैक्टर 12 हुडा, पानीपत, जिसको इस प्रलेख में "द्वितीयपक्ष" कहा गया है।

21 JUN 2021
2021
Copy Attached



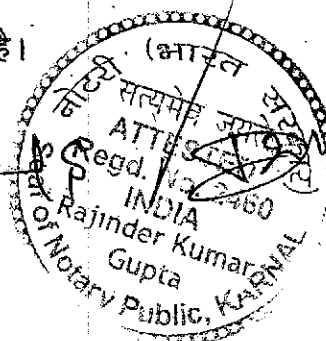
के है जो कि हम सावधान होकर लिख देते है कि भूमि खेवट नम्बर 10 , दर खसरा नम्बर:
303/2 , 304/1/2 , 304/2 , 305/1 , 305/2 , 306 , 315 , किते 7 कुल रकबा 18
2-4 1-3 1-12 2-0 3-1 4-0 4-0

बीघा, वाका ग्राम सराये कोहण्ड तहसील व जिला पानीपत मुताबिक इंतकाल नम्बर 1235 प्रथमपक्षगण की मलकीयत है। अब उक्त भूमि को द्वितीयपक्ष ने दिनांक 28-09-2017 से 27-09-2116 यानी 99 वर्ष की अवधि के लिए बतौर पट्टा पर लेने के लिए प्रथमपक्ष को आग्रह किया है तथा प्रथमपक्ष ने उक्त भूमि को निम्नलिखित ब्यौरा/पैराज/बर्तों के आधार पर द्वितीयपक्ष को लीज/पट्टा पर दी है:-

- 1- यह कि उपरोक्त भूमि की लीज दिनांक 28-09-2017 से 27-09-2116 तक के लिए यानी अवधि 99 वर्ष तक के लिए तय की गई है।
- 2- यह कि पट्टा राशि/लीज राशि मु0 90,000/-रु। नब्बे हजार रु। प्रति वर्ष तय हुआ है, इस आधार पर सालम पट्टा अवधि की पट्टा राशि प्रत्येक पांच वर्ष अन्तरात अनुसार अदा की जावेगी, प्रथम पांच वर्ष यानी 28-09-2017 से 27-09-2022 तक की पट्टा राशि बतौर एडवांस द्वितीयपक्ष ने बजरिया चैक प्रथमपक्ष को अदा कर दी है। इस अन्तराल उपरान्त प्रत्येक पांच वर्ष उपरान्त उपरोक्त तय कि गई राशि के हिसाब से पांच वर्ष का वार्षिक किराया अदा किया जाएगा।
- 3- यह कि कब्जा प्रथमपक्ष ने द्वितीयपक्ष के सुपुर्द कर दिया है, द्वितीयपक्ष ने बतौर लीज होल्डर/पट्टेदार कब्जा उक्त भूमि का सम्भाल लिया है।
- 4- यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि को अपने पोल्ड्री कारोबार/व्यापार हेतु इस्तेमाल मे ला सकता है, हर प्रकार की इमारत, शैड इत्यादि का निर्माण कर सकता है, हर प्रकार की फिक्चर, फिटिंग, मशीनरी फिटिंग इत्यादि करवा सकता है, गोदाम, लेबर क्वार्टर, आफिस आदि का निर्माण कर सकता है व इस्तेमाल मे ला सकता है।

21 JUN 2021

सत्यमेव जयते
Rajinder Kumar
Gupta
Notary Public, KARNAL



- 5- यह कि द्वितीयपक्ष उपरोक्त भूमि पर बिजली - पानी कनेक्शन ले सकता है, ट्यूबवैल कनेक्शन लगवा सकता है, वाटर टैंक निर्माण कर सकता है। उक्त भूमि पर अपने करोबार व इमारत निर्माण बाबत हर प्रकार की एन.ओ.सी., क्लीयरेंस सर्टिफिकेट सी.एल.यू व आवश्यक लाईसेंस प्रत्येक सम्बंधित विभाग में एप्लाइ कर सकता है, जारी करवा सकता है।
- 6- यह कि द्वितीयपक्ष उक्त भूमि बाबत व व्यापार बाबत सम्बंधित सरकारी या गैर सरकारी विभाग से परमीशन ले, प्रोजेक्ट पास करावे, या अन्य किसी प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए सम्बंधित विभाग से एन.ओ.सी. लेवे, एप्लाइ करे, प्रोजेक्ट पर किसी भी बैंक/फर्म से लोन/ऋण लेवे, यानी उक्त भूमि पर अपने कारोबार सम्बंधित हर प्रकार से कार्य कर सकेगा/इस्तेमाल में ला सकेगा जिसकी बाबत द्वितीयपक्ष ही हर प्रकार से जिम्मेवार रहेगा।
- 7- यह कि कथित लीज/पट्टा अवधि उपरान्त द्वितीयपक्ष उक्त खाली भूमि का कब्जा प्रथमपक्ष के सुपुर्द करने का पाबंद होगा।
- 8- यह कि अवधि खत्म होने के उपरान्त द्वितीयपक्ष यदि अगली अवधि के लिए लेना चाहेगा तो प्रथमपक्ष की रजामन्दी उपरान्त उपरोक्त भूमि की लीज/पट्टा अवधि आगे नया लीजडीड/पट्टानामा लिखकर बढ़वा सकेगा वरना पट्टेदारी से बेदखल माना जावेगा।

अतः यह पट्टानामा लिखा दिया है कि प्रमाण रहे।

दिनांक 28/9/17

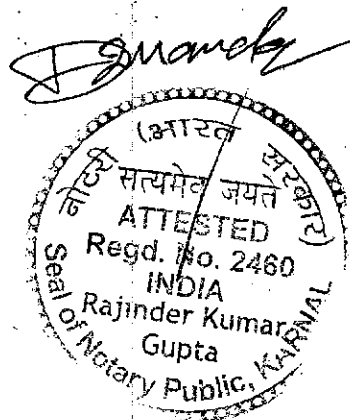
प्रथमपक्ष

Hand S

सत्यमेव जयते
True Copy Attached

21 JUN 2021

द्वितीयपक्ष



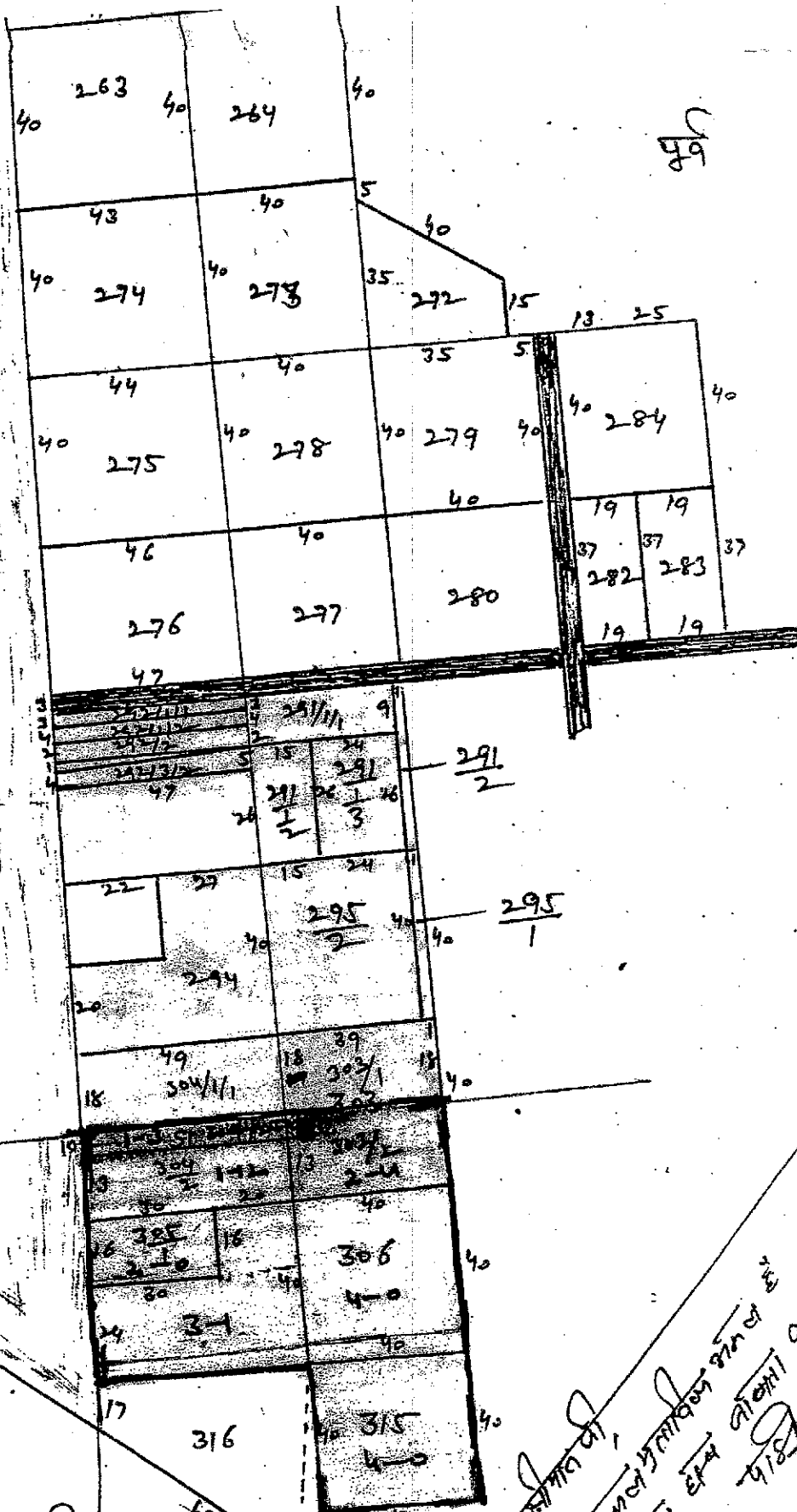
Krishan Kumar Chawla
Document Writer

Tahsil Compound, Panipat.
License No. 3 of 1998

Sr. No. 1545
Date 28/9/17

सत्यमेव जयते
महाराष्ट्र

सत्यमेव जयते



दक्षिण

NOTARY PUBLIC
 Read No. 2480
 INDIA
 Rajinder Kumar
 Gupta
 Notary Public, K...

अनुपम प्रतिया
 True Copy Attached

21 JUN 2021